संख्या :– 391 /XXIV(N)-(68/12)/2015

प्रेषक,

राधिका झा
प्रभारी सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य/ प्रमुख सचिव/सचिव
   उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त,
   गढ़वाल मण्डल, पौड़ी एवं
   कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी
   उत्तराखण्ड ।

उच्च शिक्षा (नवसृजित अनुभाग) देहरादून, दिनांक : 16 अप्रैल, 2015

विषयः–राज्य में निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु निर्धारित नीति/मानक के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में नये निजी विश्वविद्यालय को खोले जाने हेतु मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा प्रो0 यशपाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले में पारित आदेश, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के दिशा–निर्देशों का शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य में निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु नीति निर्धारण किये जाने के संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–टी0सी0–68/XXIV(6)/2011 दिनांक 14.11.2011 एवं तत्क्रम में निर्गत संशोधित शासनादेश संख्या–68/XXIV(6)/2011 दिनांक 13.12.2011, शासनादेश संख्या–68/XXIV(6)/2012 दिनांक 18.05.2012 एवं शासनादेश संख्या–68/XXIV(6)/2011 दिनांक 28.05.2012 तथा उक्त शासनादेशों के क्रम में पर्वतीय क्षेत्रों में निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु निर्गत शासनादेश संख्या–309/XXIV(3)-3(33)/2014 दिनांक 05 सितम्बर, 2014 एवं तत्क्रम में संशोधित शासनादेश दिनांक 27 नवम्बर, 2014 एवं शासनादेश दिनांक 02 दिसम्बर, 2014 द्वारा पूर्व में निर्धारित नीति/मानक को संकलित कर उक्त प्रयोजन (**मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने**) हेतु निम्नांकित सीमा तक संशोधित/समावेशित करते हुए नीति दो चरणों में निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

निजी विश्वविद्यालय स्थापना की प्रकिया दो स्तरीय होगी–

प्रथम चरण–प्रथम चरण में निजी विश्वविद्यालय की विस्तृत परियोजना रिर्पोट प्राप्त होने पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा मूल्यांकन कर 15 दिन के अन्दर संस्तुति प्रदान की जायेगी। उच्च

स्तरीय समिति की संस्तुति पर शासन द्वारा आगामी 15 दिनों के भीतर आशय पत्र (**Letter of Intent**) जारी करने के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

द्वितीय चरण—द्वितीय चरण में आशय पत्र की शर्तो के अनुरूप निर्धारित अवधि में प्रस्तावक द्वारा कार्यवाही उपरान्त राज्य सरकार में विश्वविद्यालय संचालन की अनुमति हेतु आवेदन किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा दो माह के भीतर प्रस्ताव का परीक्षण कर विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जायेगा। विधेयक पारित होने के पश्चात् उसमें उल्लिखित् प्राविधान एवं व्यवस्थाओं के अनुरूप विश्वविद्यालय संचालन छात्र/छात्राओं का प्रवेश एवं पठन पाठ्न प्रारम्भ किया जायेगा।

नोटः—

(अ). ऐसी संस्थायें जो पूर्व से ही स्थापित हैं और प्रथम चरण की सभी शर्ते पहले से ही पूरी करती हों, उन्हें सीधे द्वितीय चरण में परीक्षण हेतु विचार किया जायेगा। इस उद्‌देश्य हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जाएगा।

(ब). द्वितीय चरण में परीक्षण हेतु प्रारूप (**PROFORMA**)(संलग्न—**परिशिष्ट—5**)

(स). शपथ पत्र का प्रारूप हिन्दी व अंग्रेजी (संलग्न—**परिशिष्ट—6**)

प्रथम चरण

1. निजी विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तावक संस्था/ट्रस्ट/सोसायटी/ कम्पनी द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड शासन को प्रस्तुत किया जायेगा। प्रस्ताव के साथ प्रस्तावक द्वारा प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में रूपये दस लाख (पर्वतीय क्षेत्रों के लिये रूपये एक लाख) की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल के पक्ष में देय होगा, जिसे निदेशक, उच्च शिक्षा के माध्यम से राजकीय कोष में जमा कराया जायेगा। उक्त प्रोसेसिंग शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा ।

2. निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तावक के लिए आवश्यक है कि वह निम्न में से किसी अधिनियम के तहत पंजीकृत हो :—

(1) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या—21 सन् 1860) **या**

(2) भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या—02 सन् 1882) **या**

(3) कम्पनी अधिनियम 1956 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या—01 सन् 1956) की धारा—25 के अधीन।

3. प्रत्येक प्रस्तावक को इस आशय का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि विश्वविद्यालय नियामक आयोग, सर्वोच्च नियामक संस्थाओं, केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर पारित अधिनियमों/नियमों/शासनादेशों/रेगुलेशन्स् का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा ।

4. यदि प्रस्तावक संस्था द्वारा पूर्व से उच्च शिक्षण संस्थान का संचालन नहीं किया जा रहा हो तो संस्था के कार्यकारी सदस्यों में 60 प्रतिशत सदस्य उच्च शिक्षा क्षेत्र के अनुभवी व्यक्तियों में से होने आवश्यक होंगे।

5. निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु भूमि के मानक निम्नानुसार निर्धारित किये जाते हैं :–

क0सं0	क्षेत्र	मानकानुसार निर्धारित भूमि	निर्मित क्षेत्र
1.	**पर्वतीय क्षेत्र**	**पर्वतीय क्षेत्रो में न्यूनतम 2.5 एकड़ भूमि (अधिकतम् तीन समीपवर्ती स्थानों पर 05 कि0मी0 के भीतर)**	**निर्मित क्षेत्र न्यूनतम 2500 वर्ग मीटर**
2.	**मैदानी क्षेत्र** (जनपद देहरादून के पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर)	10 एकड़ एक साथ एक ही स्थान पर होना आवश्यक है।	20,000 वर्गमीटर

नोटः– वर्णित आवश्यक भूमि के साथ पाठ्यक्रमों हेतु सर्वोच्च नियामक निकाय के भूमि सम्बन्धी मानक, जो भी अधिक हो, उसका पालन किया जाना प्रस्तावक संस्था के लिए अनिवार्य होगा।

6. प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में निजी विश्वविद्यालय खोलने के इच्छुक प्रस्तावकों को, अन्य शर्तें पूर्ण करने पर, 10 अंक का अधिमान दिया जायेगा।

7. निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तावक संस्था द्वारा विस्तृत परियोजना रिर्पोट (D.P.R.) में निम्नलिखित विवरण शामिल किया जाना होगाः–

(i). संस्था के पंजीकृत होने का प्रमाण, संविधान एवं नियमावली ।

(ii). प्रस्तावक संस्था के आय के स्रोत तथा विगत् तीन वर्षो का संपरीक्षित लेखा रिर्पोट (तीन वर्ष से कम अवधि में स्थापित संस्थायें उतने ही वर्षो की संपरीक्षित लेखा उपलब्ध करायेंगी, जितने वर्ष उसकी स्थापना के पश्चात् पूर्ण हुए हों (यदि कोई हो))

(iii). प्रस्तावक संस्था की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय संमैत्री

(iv). प्रस्तावक संस्था का पूर्व में उच्च शिक्षण संस्थान संचालन की दशा में न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव/दो बैच पास आउट होने का प्रमाण पत्र संबंधित संबद्धीकरण विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(v). उत्तराखण्ड राज्य में विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता, महत्व एवम् लाभ–परिस्थितिक विश्लेषण एवं राज्य के विकास में विश्वविद्यालय का प्रस्तावित योगदान दर्शाते हुए **Feasibility Report**

(vi). प्रस्तावित विश्वविद्यालय की संदृष्टि, ध्येय एवं उद्देश्य।

(vii). प्रस्तावित विश्वविद्यालय के मुख्यालय एवं मुख्य कैम्पस(**Main Campus**)का स्थान

(viii). प्रस्तावक संस्था के प्रर्वतकों (**Promoters**) की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति न्यूनतम रू0 30.00 करोड़ (**पर्वतीय क्षेत्रों के लिये रू0 3.00 करोड़**) शुद्ध सम्पत्ति (**Net-worth**) कम से कम तीन वर्षों का प्रमाण यथा–चार्टेड एकाउटेन्ट द्वारा सत्यापित बैलेंस शीट, **Wealth Tax Return** (इस आशय का शपथ–पत्र)।

(ix). प्रस्तावित विश्वविद्यालय की सम्पूर्ण चरण की परियोजना लागत, बजट प्रावधान एवम् वित्त के स्रोतों का विवरण। संस्था के बैंक खाते में न्यूनतम् रूपये 20 करोड़ (**पर्वतीय क्षेत्रों के लिये रू0 2.00 करोड़**) जमा होना आवश्यक होगा।

(x). विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रमों का विवरण प्रत्येक पाठ्यक्रम का शुल्क ढांचा, संक्षिप्त पाठ्य सामग्री एवम् रोजगारपरकता का विवरण।

(xi). प्रस्तावक संस्था द्वारा स्वंय के द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों यदि कोई हो के माध्यम से छात्र–छात्राओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में की गयी कार्यवाही का विवरण।

(xii). विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रस्तावित न्यूनतम एवं अधिकतम 10 एकड़ भूमि मैदानी क्षेत्र में तथा **पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम 2.5 एकड़ भूमि** उपलब्ध कराने संबंधी शपथ पत्र प्रारम्भ में दिया जायेगा। अधिनियम से पूर्व भूमि के स्वामित्व से सम्बन्धित् प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(xiii). प्रस्तावक संस्था द्वारा इस आशय की घोषणा कि उक्त संस्था एवम् उसके द्वारा संचालित किसी संस्था के विरूद्ध कभी भी कोई दण्डात्मक प्रकिया किसी भी न्यायालय में स्थापित नहीं की गयी तथा उक्त संस्था को केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी द्वारा कभी काली सूची में सूचीबद्ध नहीं किया गया।

(xiv). **प्रदेश के स्थायी निवासियों को विश्वविद्यालय में संचालित सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश में 25 प्रतिशत आरक्षण का प्राविधान रखा जायेगा।** प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र दिया जायेगा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेश संस्था को मान्य होंगे। उत्तराखण्ड के अभ्यर्थियों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण की यदि कुछ सीटें रिक्त रहती हैं, तो राज्य सरकार द्वारा ऐसी स्थिति में एक **Cut-off Date** निश्चित की जायेगी। उस तिथि तक यदि उत्तराखण्ड के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अन्य अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।

(xv). निजी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों, जो **प्रदेश के स्थायी निवासी हो, को निर्धारित शिक्षण शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।**

प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र दिया जायेगा कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेश संस्था को मान्य होंगे ।

(xvi). **प्रदेश के स्थायी निवासियों को, जो समूह 'ग' एवं 'घ' श्रेणी के पदों हेतु योग्यता रखते हो, को इस श्रेणी के समस्त पदों पर नियुक्ति की जायेगी।** प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र दिया जायेगा कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेश संस्था को मान्य होंगे।

(xvii). निजी विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार की प्रवृत्त/समय–समय पर संशोधित आरक्षण नीति का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(xviii). न्यूनतम रूपये 25.00 लाख **(पर्वतीय क्षेत्र के लिये रू0 10 लाख)** की पुस्तकें क्रय करनी अनिवार्य होगी अथवा पाठ्यक्रम हेतु सर्वोच्च नियामक निकाय के मानकानुसार जो भी अधिक हो। प्रस्तावक संस्था द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(xix). प्रथम तीन वर्षों में न्यूनतम रूपये 75.00 लाख अथवा पाठ्यक्रम हेतु सर्वोच्च नियामक निकाय के मानकानुसार जो भी अधिक हो, की धनराशि पत्रिकायें, कम्प्यूटर, नेटवर्किंग आदि मदों में व्यय किया जायेगा। प्रस्तावक संस्था द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(xx). प्रथम वर्ष में न्यूनतम रूपये 30.00 लाख अथवा सर्वोच्च नियामक निकाय के मानकानुसार, जो भी अधिक हो, के उपकरण, फर्नीचर आदि क्रय किया जायेगा। प्रस्तावक संस्था द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

नोटः– उपरोक्त प्रस्तर–7 के बिन्दु संख्या–19 एवं 20 में उल्लिखित मानकों को Club करते हुये पर्वतीय क्षेत्रो में निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु निम्नवत् मानक निर्धारित/लागू होगेः–

"प्रथम वर्ष में न्यूनतम रूपये 50.00 लाख अथवा सर्वोच्च नियामक निकाय के मानकानुसार, जो भी अधिक हो, के पत्रिकायें, कम्प्यूटर, नेटवर्किंग, उपकरण, फर्नीचर आदि क्रय किया जायेगा। प्रस्तावक संस्था द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा"।

(xxi). प्रत्येक विभाग/डिसिप्लिन में कम से कम एक प्रोफेसर, दो एसोसिएट प्रोफेसर, तीन असिस्टेंट प्रोफेसर तथा अन्य सपोर्टिंग स्टाफ की नियुक्ति शासन/सर्वोच्च नियामक निकाय द्वारा निर्धारित योग्यतानुसार पारदर्शी तरीके से की जायेगी तथा इनके हित में भविष्य निधि एवं अन्य कल्याणकारी कोषों की स्थापना की जानी अनिवार्य होगी। प्रस्तावक संस्था द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(xxii). राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रस्तावित विधेयक में शुल्क, पाठ्यक्रम, सीट इन्टेक, निरीक्षण आदि प्राविधान किये जायेंगे। प्रस्तावक संस्था द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8. निजी विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धी उपरोक्तानुसार प्राप्त होने वाले प्रस्ताव/प्रस्तावों को पन्द्रह दिनों के अन्दर उच्च स्तरीय समिति के समक्ष मूल्यांकन कर प्रस्तुत करने हेतु निम्नवत् मूल्यांकन समिति गठित की जाती है :–

1. अपर सचिव,उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड शासन –	**अध्यक्ष**
2. अपर सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन–	**सदस्य**
3. निदेशक उच्च शिक्षा हल्द्वानी–	**सदस्य सचिव**

नोटः– निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा शासन से प्राप्त प्रस्तावों को उक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

9. राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्तावों पर विचार कर संस्तुति तथा इस क्षेत्र में नीति निर्धारण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में **उच्च स्तरीय समिति** निम्नवत् गठित की जाती हैं :–

(1) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन–	**अध्यक्ष**
(2) प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन–	**सदस्य**
(3) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन–	**सदस्य**
(4) प्रमुख सचिव/सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन–	**सदस्य**
(5) प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन–	**सदस्य**
(6) प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन–	**सदस्य**
(7) प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय, उत्तराखण्ड शासन–	**सदस्य**
(8) प्रमुख सचिव/सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन–	**सदस्य**
(9) कुलपति, दून विश्वविद्यालय, देहरादून–	**सदस्य**
(10) दो विषय विशेषज्ञ जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा–	**सदस्य**
(11) महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड–	**सदस्य**
(12) निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी, नैनीताल–	**सदस्य–सचिव**

10. प्रत्येक प्रस्तावक के मूल्यांकन हेतु प्रारूप संलग्न किया गया है, जिसके दो खण्ड है:–

(1) निजी विश्वविद्यालय स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन– **प्रारूप–1**, इन मदों की पूर्ति होने पर ही अंकों के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा।

(2) प्रस्तावकों का अंकों के आधार पर मूल्यांकन– **अंक प्रारूप पत्र–2**

(3) किसी प्रस्ताव को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर ही **(Letter of Intent)** की संस्तुति की जायेगी ।

11. आशय पत्र **(Letter of Intent)** में प्रमुख रूप से निम्न शर्तो का उल्लेख होगा:–

(1) भूमि का स्वामित्व मानकों के अनुरूप, भवन एवं अवस्थापना सृजन का प्रमाण ।

(2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सर्वोच्च नियामक संस्था (जैसी भी स्थिति हो) के द्वारा किया गया निरीक्षण एवं संस्तुति पत्र ।

(3) राज्य सरकार द्वारा सम्पादित निरीक्षण एवं मानकों के बाबत संस्तुति पत्र ।

(4) विश्वविद्यालय का शैक्षिक एवं प्रशासनिक ढॉचा ।

(5) विस्तृत परियोजना रिर्पोट के अनुसार सभी बिन्दुओं पर कार्यपूर्ति का शपथ पत्र।

(6) यू0जी0सी0 अन्य नियामक संस्थाओं, केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा पारित अधिनियम, नियम, रेगुलेशन्स् तथा शासनादेशों के अनुपालन की पुष्टि ।

12. किसी भी विषय में राज्य सरकार के नियम/अधिनियम/विनियम एवं शासनादेशों के माध्यम से दी गई व्यवस्था उसी विषय में किसी अन्य व्यवस्था के रहते हुये भी बाध्यकारी प्रभाव रखेगा।

13. उपरोक्त के अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्रो में निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु निम्नवत् सुविधा प्रदान करते हुये नीति/मानक निर्धारित किये गये है/लागू होगे:–

(1). भूमि कय किये जाने हेतु अनुमति 03 माह के अन्दर प्रदान कर दी जायेगी।

(2). भूमि का लैण्ड यूज स्वतः परिवर्तित किये जाने के संबंध में औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–1026/VII-1/2014/68–रिट/2008 T.C-2 दिनांक 25 जून, 2014 के अनुसार प्राविधान किया जायेगा।

(3). पर्वतीय क्षेत्रों में निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने के संबंध में वैट (VAT), बिजली, पानी के संबंध में औद्योगिक नीति में निहित प्राविधानुसार पांच वर्ष के लिये छूट प्रदान की जायेगी। पर्वतीय क्षेत्रों में विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने पर अवस्थापना सुविधाऐं यथा–सड़क (पहुंच मार्ग से अधिकतम पांच किमी0 तक) बिजली, पानी राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी।

14. प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु **Single Window Clearance** के संबंध में उच्च स्तरीय समिति **Single Window Platform** के रूप में कार्य करेगी, जो नियमित अनुश्रवण एवं **Inter-Departmental Co-ordination** सुनिश्चित करेगी, जिससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण निजी पूंजी निवेश आकर्षित हो सके। उच्च स्तरीय समिति निम्नवत् कार्य हेतु अधिकृत होगी:–

(अ). उच्च स्तरीय समिति राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालयों का त्रैमासिक स्तर पर नियमित अनुश्रवण करेगी, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगारपरक एपं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सके।

(ब). जिन संस्थाओं को पूर्व में निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु शासन द्वारा आशय पत्र (**Letter of Intent**) निर्गत किये गये है, उन संस्थाओं को विश्वविद्यालय स्थापित करने में आ रही किसी भी प्रकार की कठिनाईयों को दूर करने हेतु उच्च स्तरीय समिति द्वारा **Inter-Departmental Co-ordination** करते हुये ससमय उसका निराकरण करना सुनिश्चित किया जा जायेगा।

(स). उच्च स्तरीय समिति समय–समय पर **भौतिक निरीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु उप समिति** गठित करेगी।

नोटः– प्रश्नगत विषय के संबंध में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति प्रश्नगत नीति के कियान्वयन के संबंध में समस्त निर्णय लेने हेतु अधिकृत होगी और समिति के निर्णयों का सबंधित विभागों द्वारा पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। यदि समिति द्वारा लिये गये किसी निर्णय के अनुपालन में किसी प्रशासकीय विभाग को कठिनाई उत्पन्न हो रही है, तो प्रस्ताव मंत्रिमण्डल के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाय।

15. निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु निर्धारित आशय पत्र (**Letter of Intent**) की शर्तो/समय–सीमा में विस्तारण दिये जाने हेतु उच्च स्तरीय समिति अधिकृत होगी।

16. उपरोक्त के अतिरिक्त सभी परिस्थितियों में सर्वोच्च नियामक संस्थाओं (यथा–यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, एन0सी0टी0ई0 आदि) के नियमों/प्राविधानों तथा भारतीय संसद द्वारा पारित विभिन्न अधिनियमों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।

द्वितीय चरण

1. प्रस्तावक द्वारा आशय पत्र (**Letter of Intent**) की शर्तो का पालन करते हुए अधिनियम एवं अध्यादेश के आलेख्य के साथ विश्वविद्यालय संचालन की अनुमति मांगने की दशा में उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण कर संस्तुति की जायेगी। ऐसी संस्तुति प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय का विधेयक विधानसभा के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा (**विधानसभा सत्र न होने की दशा में अध्यादेश**)।

2. प्रस्तावक के द्वारा द्वितीय चरण का प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर उपरोक्त कार्यवाही दो माह के भीतर उसके आवेदन पर अंतिम निर्णय किया जाना अनिवार्य होगा ।

3. अध्यादेश/अधिनियम की अधिसूचना निर्गत किये जाने से पूर्व प्रस्तावक संस्था/ ट्रस्ट/सोसायटी/कम्पनी द्वारा स्थायी विन्यास निधि जो राज्य सरकार के नाम प्लेज्ड होगी, की राशि मैदानी क्षेत्र हेतु रूपये 5.00 करोड़ तथा **पर्वतीय क्षेत्र हेतु रूपये 2.00 करोड़** जो राष्ट्रीयकृत बैंक गारण्टी के रूप में देय होगा, शासन के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

4. स्थायी विन्यास निधि राजकीय कोष में जमा कराये जाने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम/अध्यादेश अधिसूचित किये जाने की अधिसूचना निर्गत की जायेगी। अधिसूचना निर्गत किये जाने की तिथि से विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर सकेगा।

5. स्थापित होने वाले निजी विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में विस्तार से **SELF DISCLOSURE** करना होगा, ताकि अभिभावक तथा छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध हो सके। इस सम्बन्ध में प्रकट की जाने वाली सूचनाओं एवं विवरणों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा और उसमें समय–समय पर यथाआवश्यक परिवर्तन किये जा सकेंगे **(संलग्नक–4)**।

6. प्रश्नगत् नीति से सम्बन्धित् कतिपय प्रारूप निर्धारित किये गये है, जिनका विवरण निम्नवत् प्रस्तुत है:–

- निजी विश्वविद्यालय प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु **अनिवार्य आवश्यक मानक प्रारूप–1/भाग–1, (संलग्नक–1)**।
- उत्तराखण्ड में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों का **मूल्यांकन अंक पत्र प्रारूप–2/भाग–2 (संलग्नक–2)**।
- उत्तराखण्ड में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों का **मूल्यांकन संकलित मूल्यांकन तालिका (संलग्नक–3)**।
- **SELF DISCLOSURE FORMAT (संलग्नक–4)**।
- ऐसी संस्थायें जो पूर्व से ही संचालित हैं, और प्रथम चरण की सभी शर्तें पहले से ही पूर्ण करती हों, के लिए द्वितीय चरण में परीक्षण हेतु प्रारूप **(PROFORMA) (संलग्नक–5)**।
- शपथ पत्र **(संलग्नक–6)**

7. उक्त शासनादेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे ।

संलग्नकः– यथोपरि ।

भवदीया,

(राधिका झा)
प्रभारी सचिव

पृष्ठांकन संख्याः संख्या :– 391 /XXIV(N)-(68/12)/2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
2. संयुक्त सचिव, (उच्च शिक्षा) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, गोपन, उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्र दिनांक 30.03.2015 एवं मंत्रिमण्डल द्वारा समय–समय पर लिये गये निर्णयों/आदेशो के क्रम में सूचनार्थ।
5. कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
7. उप सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक परीक्षा संगठन, साउथ कैम्पस, दिल्ली विश्वविद्यालय, वेनिटो ज्वारेज मार्ग, नई दिल्ली–110021।
8. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।
9. समिति में नामित समस्त सदस्यगण।
10. कोषाधिकारी, देहरादून/नैनीताल।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, जी0एम0वी0एन0 कार्यालय, राजपुर रोड़, देहरादून को इस आशय से प्रेषित की उक्त शासनादेश को जनहित में दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित किये जाने की कार्यवाही हेतु।
12. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित की उक्त शासनादेश को वेबसाइट में डालने हेतु ।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्रीधर बाबू अद्दांकी)
अपर सचिव

(संलग्नक—1)

शासनादेश संख्या : 391 /XXIV(N)—(68/12)/2015 दिनांक 16 अप्रैल, 2015 का संलग्नक –

उत्तराखण्ड में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन

(Evaluation of the Proposals for the Establishment of the Private Universiti in Uttarakhand)

निजी विश्वविद्यालय प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अनिवार्य आवश्यक मानक प्रारूप—1/भाग—1

संस्था का नाम—

निजी विश्वविद्यालय का नाम—

क.सं.	मानक/बिन्दु	हॉं/ नहीं	अभ्युक्ति
1	प्रस्ताव/विस्तृत योजना रिपोर्ट (DPR) के साथ रू0 10.00 लाख (पर्वतीय क्षेंत्रो में 1 लाख) प्रोसेसिंग जमा किया गया है		
2	प्रस्ताव शिक्षण, शोध, परीक्षाओं तथा प्रसार सेवाओं के लिये समुचित सुविधाओं से युक्त **एकल विश्वविद्यालय** की स्थापना के लिये है।		
3	निजी विश्वविद्यालय उत्तराखण्ड राज्य की सीमा के अन्दर स्थापित/ संचालित होगा, प्रस्तावक द्वारा प्रथम चरण में मुख्य परिसर स्थापित करना प्रस्तावित है (यू.जी.सी. द्वारा 05 वर्ष के बाद दूसरा **Campus/Centre** स्थापित करने का प्राविधान है)।		
4	प्रस्तावक/प्रायोजक निम्न में एक है: क: सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था/सोसायटी ख: भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के अन्तर्गत पंजीकृत ट्रस्ट ग: कम्पनी अधिनियम 1956 में धारा—25 अन्तर्गतपंजीकृत कम्पनी (प्रस्तावक संस्था/ट्रस्ट/कम्पनी की प्रमाणित पंजीकरण प्रमाण पत्र, पंजीकरण/ नवीकरण की तिथि, नियमावली के आधार पर) (क्या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण, शोध, बौद्धिक क्षमताओं के संवर्द्धन आदि विशेषज्ञता क्षेत्रों में योगदान/पहल करना संस्था के उद्देश्यों में		

	वर्णित है)। यदि प्रर्वतक संस्था द्वारा पूर्व से उच्च शिक्षण संस्थान का संचालन नहीं किया जा रहा हो तो संस्था के आवश्यक कार्यकारी सदस्यों में 60 प्रतिशत सदस्य उच्च शिक्षा क्षेत्र के अनुभवी व्यक्तियों में से होने आवश्यक होंगे। परन्तु इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि ये सदस्य तीन से अधिक शिक्षण संस्थाओं में कार्यकारी सदस्य नहीं हैं।		
5	प्रस्ताव द्वारा **UGC (Establishment and Maintenance of Standards in Private Universities) Regulations, 2003** में वर्णित प्राविधानों/मानकों व प्रकिया का अनुपालन करने प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी है **(शपथ–पत्र संलग्न)**।		
6	प्रस्तावक ने उत्तराखण्ड शासन द्वारा निजी विश्वविद्यालयों हेतु निर्धारित नीति में आरक्षण नीति का अनुपालन, स्थायी निवासियों को सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश में **25 प्रतिशत** आरक्षण, शिक्षण शुल्क में **25 प्रतिशत छूट** एवं **समूह 'ग' व 'घ'** के सभी पदों पर नियुक्ति व अन्य दिशा–निर्देशों के अनुपालन की प्रतिबद्धता व्यक्त की है **(शपथ–पत्र संलग्न)**।		
7	भारत सरकार, अन्य राज्य सरकारों, उच्च शिक्षा की नियामक संस्थाओं द्वारा प्रायोजक/प्रस्तावक या संस्था द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं को प्रतिबन्धित नहीं किया गया **(इस आशय का शपथ–पत्र संलग्न प्रस्तुत है)**।		
8	प्रायोजक/प्रस्तावक, संस्था या इसके किन्ही सदस्यों अथवा संचालित संस्थाओं के विरूद्ध न्यायालय में कोई अपराधिक वाद विचाराधीन नहीं है या दण्ड दिया गया है **(इस आशय का शपथ–पत्र संलग्न प्रस्तुत है)**।		
9	संस्था के प्रस्तावकों/संस्था के प्रर्वतकों/प्रायोजक संस्था (जिसमें कम्पनी,ट्रस्ट, सोसायटी/संस्था के सदस्यों की व्यक्तिगत् की **Net-worth)** सुदृढ़ वित्तीय स्थिति न्यूनतम रू0 30.00 करोड़ (पर्वतीय क्षेत्रों में 3 करोड़) न्यूनतम् शुद्ध सम्पत्ति **(Net-worth)** कम से कम तीन वर्षों का प्रमाण यथा–चार्टेड एकाउटेन्ट द्वारा सत्यापित बैलेंस शीट **Wealth Tax Return** आदि प्रस्ताव के साथ पृथक से प्रस्तुत करना होगा **(शपथ–पत्र संलग्न)**।		
10	प्रस्तावित विश्वविद्यालय की सम्पूर्ण चरण की परियोजना लागत, बजट प्राविधान एवम् वित के स्रोतों का विवरण। प्रस्तावक संस्था के बैंक खाते में न्यूनतम धनराशि रू0 20 करोड़ (पर्वतीय क्षेत्रों में 2 करोड़) रूपये जमा होना आवश्यक होगा।		
11	प्रवर्तक संस्था का पूर्व में उच्च शिक्षण संस्थान संचालन का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव/दो बैच पास आउट होने का प्रमाण पत्र संबंधित संबद्धीकरण विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत है।यदि प्रवर्तक संस्था द्वारा पूर्व से उच्च शिक्षण संस्थान		

	का संचालन नहीं किया जा रहा हो तो संस्था के आवश्यक कार्यकारी सदस्यों में 60 प्रतिशत सदस्य शिक्षा क्षेत्र के अनुभवी व्यक्तियों में से होने आवश्यक होंगे परन्तु इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि ये सदस्य तीन से अधिक शिक्षण संस्थाओं में कार्यकारी सदस्य नहीं हैं।		
12	प्रस्तावक को न्यूनतम 05 विभागों/विषयों में परास्नातक पाठ्यक्रम प्रस्ताव करना होगा, इससे कम वाले प्रस्तावों को विश्वविद्यालय स्थापना की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।		
13.	प्रत्येक प्रस्तावक को इस आशय का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि विश्वविद्यालय नियामक आयोग, सर्वोच्च नियामक संस्थाओं, केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर पारित अधिनियमों/नियमों/शासनादेशों/रेगुलेशन्स् का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा (शपथ–पत्र संलग्न)।		

संस्तुति :–

(1). प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं किया गया है। अतः प्रस्ताव निरस्त किया ज है ।

(2). प्रस्ताव स्वीकार किये जाने हेतु संस्तुतिः– प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त निर्धारित मानकों को पूर्ण किया ग है। अतः भाग–2 के मूल्यांकन हेतु पात्र है।

(श्रीधर बाबू अद्दांकी)
अपर सचिव

(संलग्नक–2)

शासनादेश संख्या : 391/xxiv(N)–(68/12)/2015 दिनांक 16 अप्रैल, 2015 का संलग्नक –

उत्तराखण्ड में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन

(Evaluation of the Proposals for the Establishment of the Private Universities in Uttarakhand)

अंक पत्र प्रारूप–2/भाग–2

संस्था का नाम–

निजी विश्वविद्यालय का नाम–

मानक/बिन्दु		निर्धारित अंक	प्राप्तांक
प्रस्तावक की प्रतिष्ठा, अनुभव व छवि (अधिकतम निर्धारित अंक–20)			
प्रस्तावक संस्था में न्यूनतम 60 प्रतिशत कार्यकारी सदस्य ख्याति प्राप्त शिक्षक, शिक्षक प्रशासक, उच्च शिक्षा क्षेत्र में अनुभवी एवं बुद्धिजीवी सदस्य हैं।	60–75 प्रतिशत	05	
	76–90 प्रतिशत	07	
प्रस्तावक द्वारा संचालित उच्च शिक्षा के शिक्षण संस्थानों का अनुभव– **विश्वविद्यालय संचालन अनुभव**	05 से 10 वर्ष	06	
अथवा	11–15 वर्ष से कम	10	
	15 वर्ष से अधिक	12	
प्रस्तावक द्वारा संचालित उच्च शिक्षा के शिक्षण संस्थानों का अनुभव– **महाविद्यालय/संस्थान संचालन अनुभव**	1 से 10 वर्ष	03	
	11 से 15 वर्ष	06	
	15 वर्ष से अधिक	08	
प्रस्तावक द्वारा पूर्व से संचालित उच्च शिक्षा के शिक्षण संस्थानों की राष्ट्रीय स्तर पर **NAAC,NBA** से **रैंकिंग/ग्रेडिंग** प्राप्त है।	A	06	
	B	04	
	C	02	
शैक्षणिक सहयोग समझौता (अधिकतम निर्धारित अंक–05) –			

	उच्च शिक्षा/मानव संसाधन विकास, बौद्धिक संवर्द्धन–शोध व विकास के क्षेत्र में प्रत्यानित ग्रेड प्राप्त संस्थाओं से शोध, पाठ्यक्रम, शिक्षक व विद्यार्थी अदला–बदली आशय का समझौता (MoU/Tie-up) है। समझौता (MoU/Tie-up) ऐसे विश्वविद्यालय से किया जायेगा, जो शासकीय मान्यता प्राप्त प्रत्यानित करने वाली संस्था द्वारा प्रत्यानित/ग्रेड किया गया हो।	प्रदेश स्तर पर	02	
		राष्ट्रीय स्तर पर	04	
		अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर	05	
3	**विश्वविद्यालय का मुख्यालय (मुख्य परिसर) पर्वतीय क्षेत्र में प्रस्तावित होने पर अधिमान (अधिकतम निर्धारित अंक–10)**		10	
4	**विश्वविद्यालय की स्थापना व संचालन हेतु वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था (अधिकतम निर्धारित अंक–30)**			
	प्रस्तावक संस्था के प्रवर्तक/प्रायोजक की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति न्यूनतम रू0 30.00 करोड़ (पर्वतीय क्षेत्र में 3 करोड़) शुद्ध सम्पत्ति (net-worth) कम से कम तीन वर्षों का प्रमाण। (संपरीक्षित लेखा रिर्पोट, बैलेंस शीट तथा Wealth Tax Return आदि)	20.01 से 30.00 करोड़ शुद्ध सम्पत्ति	05	
		30.01 से 40.00 करोड़ शुद्ध सम्पत्ति	10	
		40.00 करोड़ से अधिक	14	
	प्रस्तावित विश्वविद्यालय की समस्त चरणों की परियोजना लागत, बजट प्रावधान एवम् वित के स्रोतों का विवरण। न्यूनतम रू0 20 करोड़ (पर्वतीय क्षेत्र में 2 करोड़) संस्था के बैंक खाते में जमा है।	30 से 40 करोड़ बैंक में जमा	08	
		40.01–50 करोड़ बैंक में जमा	12	
		50.00 करोड़ से अधिक बैंक में जमा	16	
5	**विश्वविद्यालय की स्थापना व विकास के परिणाम स्वरूप उपलब्ध होने वाले प्रशिक्षण व रोजगार के अवसर हेतु औद्योगिक संस्थानों से समझौतों (MoU/Tie-up) की स्थिति। (अधिकतम निर्धारित अंक–05)**			
	प्रशिक्षण व रोजगार दिलाने के क्षेत्र में तथा उद्योग प्रायोजित पाठ्यक्रमों हेतु न्यूनतम रू0 100 करोड़ वार्षिक टर्नओवर वाले औद्योगिक संस्थानों से समझौता (MoU/Tie-up) है।		05	
6	**विश्वविद्यालय की राज्य के विशेष हितों के संरक्षण हेतु व्यक्त प्रतिबद्धता (अधिकतम निर्धारित अंक–10)**			
	प्रस्तावक ने उत्तराखण्ड शासन द्वारा निजी विश्वविद्यालयों हेतु	26 से 30 प्रतिशत	04	

	निर्धारित नीति में आरक्षण नीति, स्थायी निवासियों का पाठ्यक्रम में प्रवेश में 25 प्रतिशत आरक्षण तथा शिक्षण शुल्क में 25 प्रतिशत छूट। (शपथ पत्र प्रस्तुत है, जिसे एक्ट में शामिल किया जायेगा। इन सभी मदों में न्यूनतम आरक्षण/छूट देने पर ही अंक प्रदान किये जायेंगे)	31 से 40 प्रतिशत तक	08	
		41 से 50 प्रतिशत	10	
7.	**प्रस्तावित पाठ्यक्रमों, उपाधियों की राज्य की विशेष आवश्यकताओं के लिये प्रासंगिकता व उपयोगिता (अधिकतम निर्धारित अंक–20)**			
	प्रस्तावक द्वारा परास्नातक स्तर पर न्यूनतम 05 विभागों/विषयों में पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का प्रस्ताव किया जाना आवश्यक है। (जिसे एक्ट में शामिल किया जायेगा)	06–07 विभागों/विषयों तक	04	
		08–09 विभागों/विषयों तक	06	
		10 या अधिक विभागों/विषयों में	08	
	व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को अधिमान (जिसे एक्ट में शामिल किया जायेगा)	02 पाठ्यक्रम	05	
		03 पाठ्यक्रम	07	
		04 या अधिक पाठ्यक्रम	12	

(श्रीधर बाबू अद्दांकी)
अपर सचिव

(संलग्नक–3)

शासनादेश संख्या : 391/XXiV(N)–(68/12)/2015 दिनांक 16 अप्रैल, 2015 का संलग्नक –

उत्तराखण्ड में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन

(Evaluation of the Proposals for the Establishment of the Private Universities in Uttarakhand)

संकलित मूल्यांकन तालिका

संस्था का नाम–

निजी विश्वविद्यालय का नाम–

क्र. सं.	मानक/बिन्दु	निर्धारित अंक	प्राप्तांक
1	प्रस्तावक की प्रतिष्ठा, अनुभव व छवि	25	
2	शैक्षणिक सहयोग समझौता	05	
3	मुख्य परिसर पर्वतीय क्षेत्र में प्रस्तावित होने पर अधिमान	10	
4	विश्वविद्यालय की स्थापना व संचालन हेतु वित्तीय 2 संसाधनों की व्यवस्था	30	
5	विश्वविद्यालय की स्थापना व विकास के परिणाम स्वरूप उपलब्ध होने वाले प्रशिक्षण व रोजगार के अवसर हेतु औद्योगिक संस्थानों से समझौतों (MoU/Tie-up) की स्थिति।	05	
6	विश्वविद्यालय की स्थापना में राज्य के विशेष हितों के संरक्षण हेतु व्यक्त प्रतिबद्धता	10	
7.	प्रस्तावित पाठ्यक्रमों, उपाधियों की राज्य की विशेष आवश्यकताओं के लिये प्रासंगिकता व उपयोगिता	20	
	योग	105	

(न्यूनतम **50 प्रतिशत** अंक अर्जित करने वाले प्रस्ताव को ही निजी विश्वविद्यालय स्थापना हेतु सैद्धांतिक सहमति पत्र **(Letter of Intent)** जो अधिकतम तीन वर्षों के लिये मान्य तथा इसके पश्चात स्वतः समाप्त हो जायेगा, राज्य सरकार द्वारा जारी की जायेगी।

समिति का निर्णय–

(श्रीधर बाबू अद्दांकी)
अपर सचिव

ऐसी संस्थायें जो पूर्व से संचालित हैं, और प्रथम चरण की सभी शर्तें पहले से ही पूर्ण करती हों, के लिये द्वितीय चरण में परीक्षण हेतु प्रारूप (PROFORMA)

संस्था का नाम –

निजी विश्वविद्यालय का नाम –

क्र0सं0	विषय
1.	**पाठ्यक्रमों का विवरण:** **(अ) संचालित पाठ्यक्रम:** प्रस्तावक संस्था द्वारा वर्तमान में संचालित पाठ्यक्रमों की नियामक संस्थाओं द्वारा मान्यता एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता का सप्रमाण विवरण। • पाठ्यक्रमवार प्रवेश क्षमता (**Intake**) • मानकानुसार/शिक्षणकक्ष/प्रयोगशाला की संख्या। • **कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर की उपलब्धता:** (1) नियामक संस्था के मानकानुसार। (2) वर्तमान में उपलब्धता। **(ब) प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की सूची:** • पाठ्यक्रमों का विवरण। • नये पाठ्यक्रम हेतु भवन (शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी) की स्थिति। • शिक्षण कक्षों के आधार पर पाठ्यक्रमों के अनुसार प्रस्तावित प्रवेश क्षमता ।
2.	**भूमि का विवरण:** • मानकानुसार आवश्यक भूमि प्रस्तावक संस्था के नाम होने एवं भूमि एक ही स्थान पर सटी होने के सम्बन्ध में प्रमाण। "विश्वविद्यालय हेतु प्रस्तावित भूमि किसी विवाद अथवा मुकदमें में नही है तथा विश्वविद्यालय के प्रबन्धन/ संस्थान में कोई विवाद नही है"। • संचालित पाठ्यक्रमों हेतु भूमि के सम्बन्ध में राजस्व विभाग द्वारा प्रदत्त अनुमति का प्रमाण पत्र, प्रस्तावक संस्था की भूमि की एन0ई0सी0 (**Non Encumberance Certificate**) की स्थिति।
3.	**शैक्षणिक भवनों का विवरण:** • विषय/विभागवार भवन के सम्बन्ध में मानकानुसार आवश्यक निर्मित क्षेत्र व उसके सापेक्ष संस्थान में उपलब्ध निर्मित क्षेत्र। भवन के मानचित्र सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत हों। **भवनों में सुरक्षात्मक उपाय:** • विद्युत सुरक्षा/फायर सेफ्टी/भूकम्परोधी/जमत ंतअमेलपदह की स्थिति तथा सक्षम

	प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्र।
4.	**पुस्तकालय, प्रशासनिक व अन्य भवनों के सम्बन्ध में विवरण:** पुस्तकालय, वाचनालय, प्रशासनिक भवन, इन्डोर गेम व कैन्टीन आदि के लिये मानकानुसार आवश्यक निर्मित क्षेत्र व उसके सापेक्ष निर्मित क्षेत्र का विवरण।
5.	**कार्यरत, शैक्षणिक स्टाफ के सम्बन्ध में विवरण:** पाठ्यक्रम/विभागवार कार्यरत शिक्षकों की मानकानुसार संस्था तथा उसके सापेक्ष कार्यरत शिक्षकों की संख्या नाम व योग्यता।
6.	**कार्यरत, समूह 'ग' व 'घ' कार्मिकों के सम्बन्ध में विवरण:** प्रस्ताव द्वारा जिन संस्थाओं के निजी विश्वविद्यालय में उच्चीकरण हेतु प्रस्ताव दिया गया है, उनके सम्बन्ध में यह शपथपत्र दिया जाना होगा कि उनमे समूह–'ग' व 'घ' कार्मिकों की नियुक्ति उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों में से सुनिश्चित की जायेगी। उक्त कार्मिकों की नियुक्ति में उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7.	**छात्रावासों के सम्बन्ध में विवरण:** छात्रावासों हेतु मानकानुसार आवश्यक निर्मित क्षेत्र व उसके सापेक्ष उपलब्ध निर्मित क्षेत्र का विवरण।
8.	**क्रीडा स्थल:** क्रीडा प्रांगण का मानकानुसार क्षेत्रफल व उसके सापेक्ष उपलब्ध क्षेत्रफल।
9.	**पुस्तकों, शोध प्रकाशन एवं जर्नल का विवरण:** विषय/विभागवार उपलब्ध पुस्तको की संख्या एवं कय मूल्य।
10.	**प्रयोगशाला उपकरण:** प्रयोगशाला उपकरणों में विषयों और विभागो व प्रयोगशाला उपकरणों की उपलब्धता (मानक तथा वास्तविक)। विभागवार प्रयोगशाला उपकरणों का कय मूल्य।
11.	**फर्नीचर:** फर्नीचर का कय मूल्य।
12.	**पत्रिकाओं एवं कम्प्यूटर नेटवर्किंग:** पत्रिकाओं एवं कम्प्यूटर नेटवर्किंग में व्यय का विवरण।
13.	**अन्य आवश्यक सुविधायें :–** • स्टॉफ क्वाटर, कन्फैक्शनरी, ग्रोसरी, बुक स्टोर (पुस्तकें एवं स्टेशनरी हेतु) मेडिकल स्टोर, आदि। • बैंक एक्सटेंशन काउन्टर, आडिटोरियम, पोस्ट औफिस काउन्टर। • **Disaster management system.**

परिशिष्ट–5

SELF DISCLOSURE FORMAT

A. PRELIMINARY DETAILS

(i) Date of updation of website

(iii) Name and complete Address of Private University.

(iii) Details of State Govt, Act establishing the university (Complete Scanned Act through hyper link).

(iv) Details of UGC's Recognition (Scanned letter of Recognition through hyper link)

(v) Name & Address of Sponsoring Body.

(vi) Name & Address of members of Governing Body of the Sponsoring Body with their brief profile.

B. AUTHORITIES OF THE UNIVERSITIES

(i) Board of Governors/Governing Body of University.

(ii) Complete Organizational structure of the authorities of the university with name, designation, address, email, telephone no etc.

(iii) Details of Board of Studies/RDC/Examination committee etc.

C. DETAILS OF COURSES

(i) Complete details of all courses run in the different departments during last 3 yrs. in the following format :-

S.No.	Name of Deptt	Course	Level	Running Since	Intake/ Sanctioned strength	Actual Admission	Recognition letter No of APEX Body (If any)
							Letter No. with hyper link for scanned copy

(ii) Syllabi of all courses separately.

D. ADMISSION PROCEDURE

(i) Course wise seat matrix showing distribution of all general and reserved seats.

(ii) **Admission procedure.**

- Eligibility for Admission to different courses

- Basis of Admission - Entrance test of the University/ Entrance test conduct by other bodies. IIT JEE/AIEEE/ CAT/MAT etc/Group discussion a Interview etc.

(iii) Final list of students admitted to the approved programmers after finalizi admission including name,% of marks in qualifying examination, score in written t and Group discussion, interview with relative weight age.

E. **FEE STRUCTURE**

Complete details of Fee structure including everything.

F. **FACULTY MEMBERS**

Department wise brief profiles of all faculty members with photographs.

G. **PLACEMENT RECORDS/STATISTICS**

(i) Names of Recruiters.

(ii) Last five year's course wise and company wise placement details of the students.

H. **TRAINING ARRANGEMENTS**

Course wise details of organizations with which the university has MOUs/Tie Ups compulsory training/apprenticeship of the courses.

I. **ACADEMIC TIE UPs/MOUs**

(i) National (With complete scanned MOU with hyper link)

(ii) International (With complete scanned MOU with hyper link)

J. **NATIONAL/INTERNATIONAL ACCREDITATIONS**

Details of National/International Accreditations whenever applicable.

K. **INFRASTRUCTURAL FACILITIES**

(i) **Academic Blocks**

(a) Department wise covered Area (Norm vis-a-vis actual).

(b) Department wise No of Lecture Rooms.

(c) No of Laboratories/Workshops (Norm vis-a-vis actual).

(d) I.C.T. Facilities.

(e) Girls common room.

(ii) **Hospital and OPD (For medical courses only)**

Complete details of Doctors, no of beds, operation theatres and Pathological labs e

(ii) **Library and Reading Room**

(a) Covered Area (Norm vis-a-vis actual).

(b) Course wise no of Books (Norm vis-a-vis actual).

(c) No of Journal/Magazines - Department wise

(d) Reading Room (With sitting capacity).

(e) Digitalization of Library/e-library.

(iii) **Administrative Block**

Details of offices of different authorities/functionaries.

(iv) **Auditorium**

Dimension and seating capacity.

(v) **Hostel**

(a) Girls (With intake capacity).

(b) Boys (With intake capacity).

(vi) **Games/Gymnasium Facilities**

(a) Indoor Games.

(b) Play Ground with dimension.

(c) Gymnasium.

(vii) **Medical Facilities**

(a) Health Centre.

(b) Availability of Doctors.

(c) Availability of Ambulance

(viii) **GUEST HOUSE AND RESIDENTIAL ACCOMMODATION (With All Details**

L. **Procedure for evaluation/assessment and Schedule of examination**

(i) Sectional work

(ii) Assignment.

(iii) Presentation.

(iv) Project work.

(v) Main Examination.

((iv)) Schedule and division of marks of the above.

M. **ANTI RAGGING MEASURES**

Details of members of Anti Ragging cells with their complete contact details.

N. **GRIEVANCE REDRESSAL CELL**

Details of members.

O. **PREVENTION OF WOMEN SEXUAL HARASSMENT COMMITTEE**

Details of members.

P. **CO-CURRICULAR ACTIVITIES.**

Q. **ANNUAL REPORT** (through hyper link)

R- **AUDITED BALANCE SHEET AND ACCOUNTS** (through hyper link)

शपथ पत्र

नाम———————पुत्रश्री——————आयु———

पता —————— मैं/हम ————शपथ पूर्वक निम्न घोषणा करता हूँ:–

1. यह कि मैं/हम (संस्था का नाम) के सदस्य हैं, और संस्था के सचिव के रूप में मैं/हम निजी विश्वविद्यालय (निजी विश्वविद्यालय का नाम) का प्रस्ताव करते हैं।

2. यह कि मैं/हम द्वारा द्वितीय चरण के निर्धारित प्रारूप एवं **Self Disclosure format** को भर दिया है। इन प्रारूपों में दी गयी समस्त सूचनायें वास्तविक तथ्यों पर आधारित हैं ।

3. यह कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं मानकों के अनुरक्षण) विनियम में प्रख्यापित प्राविधान, मानक एवं प्रकियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

4. यह कि प्रस्तावित शैक्षिक पाठ्यकमों हेतु सम्बन्धित् नियामक संस्था से अनुमोदन/मान्यता प्राप्त कर ली गयी है/प्रथम बैच के पाठ्यकम के पूर्ण होने से पूर्व सम्बन्धित् नियामक संस्था से अनुमोदन/मान्यता प्राप्त कर ली जायेगी। (जो भी अनुमन्य हो)।

5. यह कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यकम प्रारम्भ करने से पूर्व राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

6. शपथ पत्र के उक्त कमांक–1 से 05 में दी गयी समस्त सूचनायें मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही एवं सत्य हैं। कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि कोई सूचना गलत, असत्य एवं आधारहीन पायी जाती है, तो मैं/हम पूर्णतः उत्तरदायी होंगे तत्सम्बन्ध में राज्य सरकार अथवा उसकी सक्षम प्राधिकारी कड़ी कार्यवाही के सम्बन्ध में अपने स्वविवेक से निर्णय लिये जाने हेतु सक्षम होगी ।

(   )

वादी

सत्यापन

यह कि मै/हम (संस्था का नाम) यह घोषणा करता हूँ कि शपथ पत्र में दी गयी सभी जानकारि मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है। मेरे द्वार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

सत्यापित.....

दिनांक.....

Annexure-6

AFFIDAVIT

Affidavit of.....S/O.....aged.....Add.....

I/We, ...deponent mentioned above do solemnly affirm on oath and state as under.

1. That I/We am/are member presidential body and secretary of the Promoter of the proposed ----------
2. That I/We have filled Second Phase Entry Performa and self Disclosure format solely based on facts and reality.
3- That the proposed University will abide by the provisions, norms and procedures as elucidated in the latest UGC (Establishment and maintenance of standards in private university) Regulation.
4- That the approval recognition of concerned regulatory bodies have been obtained for all the courses proposed to be conducted/the approval will be obtained before the first batch completes the course" (Whichever is applicable)
5- The proposed Unversity will obtain the approval of the State Government before starting Admission to the courses of study.
6- That the facts and information stated in the affidavit from Para 1to 5 above are true and correct to the best of my knowledge and belief. Nothing material has been concealed there from. If any information/facts found wrong/untrue, baseless and misleading the facts. I/We shall be responsible to bear hard consequences as decided by the concerned authority/State Government at their discretion thereof.

( )

Deponent

VERIFICATION

I, the above named deponent do hereby verify that the facts stated in affidavit are true to my knowledge. No part of the same is false and noth material has been concealed therefrom.

Verified at.....on this date